

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मदनलाल

विपक्षी : अण्छीबाई

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 24/21

जीसीएमएस : 2021/70

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 26.05.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्दो का पेश करने पर मूल वाद के साथ तलब की गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद में प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश कर मूल प्रकरण को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। जिससे मूल वाद आज दिनांक को विद्दो किया जाकर खारिज किया जा चुका हैं।</p> <p>अतः मूल वाद विद्दो किये जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

